क्रमांक 3461-3 एस-74/12910

प्रेषक,

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

(1) सभी विभागाध्यक्ष, तथा
(2) आयुक्त अम्बाला एवं हिसार मण्डल ।

दिनांक चण्डीगढ़ 3 जून, 1974

विषय :– विभागाध्यक्षों (अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों को छोड़ कर) तथा लोक निर्माण विभाग में अधीक्षक इंजीनियरों के बारे में।

महोदय,

मुझे निदेश हुआ है कि मैं आपका ध्यान उपरोक्त विषय की ओर दिलाऊं और बताऊं कि वर्तमान स्थिति के अनुसार कुछ विभागाध्यक्षों (अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों को छोड़ कर) की वार्षिक गोपनीय रिपोर्टें मुख्य मंत्री के रिमार्कस लिखने के लिये प्रस्तुत की जाती हैं तथा कुछ को नहीं । मुख्य मन्त्री सभी विभागाध्यक्षों के कार्यों के बारे में काफी हद तक सीधा ज्ञान रखते हैं। विभिन्न विभागों के मामले समय समय पर उन्हें नियमानुसार प्रस्तुत किए जाते रहते हैं तथा फील्ड में भी विभागाध्यक्षों द्वारा किया जा रहा कार्य मुख्य मन्त्री के ध्यान में होता है। साधारणतः विभागाध्यक्षों की रिपोर्ट सरकार के प्रशासकीय सचिव द्वारा initiate की जाती हैं और विभाग के संबंधित मन्त्री द्वारा review की जाती हैं। इस संबंध में विचार कर अब सरकार ने फैसला किया है कि सभी विभागाध्यक्षों की गोपनीय रिपोर्टें मुख्य मन्त्री को accepting authority के तौर पर प्रस्तुत की जाया करें।

2. सरकार ने यह भी फैसला किया है कि लोक निर्माण विभाग के सभी अधीक्षक इंजीनियरों की रिपोर्ट भविष्य में मुख्य मन्त्री को रिमार्क्स रिकार्ड करने के लिये प्रस्तुत की जाया करें। कृपया इन हिदायतों की अनुपालना के लिये नोट कर लिया जाए तथा इस पत्र की पावती भेजी जाए।

भवदीय,

हस्ताक्षर,

उप सचिव राजनैतिक एवं सेवाएं

कृते : मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

एक एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है :—

1. वित्तायुक्त राजस्व तथा

2. हरियाणा के सभी प्रशासकीय सचिव,